



निर्णय इजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला
कोटा

प्रकरण संख्या : 26 / 2022

तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम लसेडियाकलां
तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद।

— प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार

—निर्णय—



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी के संयुक्त खाते व एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं.

बनामित प्रतिलिपि 1

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

सांगोद (कोटा)

ई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी स्थित है। उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम अधिकार अभिलेख में वादी के पिता की मृत्यु होने पर फौती इन्तकाल दर्ज होने पर पटवार हलका द्वारा वादी का गांव में बोलने वाला नाम छीतरलाल ही दर्ज कर दिया जो आज दर्ज है जबकि वादी का शिक्षा विभाग में नाम ओंकारलाल दर्ज है तथा वादी के पिता का नाम माल ग्राम खडिया में पन्ना दर्ज है जिसे पन्नालाल दर्ज करवाना तथा वादी के पुत्रों व पुत्रियों के शिक्षा विभाग के सभी दस्तावेजात में ओंकारलाल पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राज दर्ज है।

वादी का नाम वाद पत्र में वर्णित आराजी में छीतरलाल दर्ज है तथा वादी के शिक्षा रेकार्ड को वादी के पुत्रों, पुत्रियों के शिक्षा रेकार्ड में वादी का नाम ओंकारलाल दर्ज है इस कारण से वादी को बहुत परेशानी आती है। वादी के ही दो नाम गांव में बोलने वाला नाम व रेकार्ड नाम छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल है लेकिन दो अलग-अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति हैं, वादी के अलावा ओर कोई व्यक्ति उक्त खाते व नाम का नहीं है। वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी का नाम छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल करवाना ही इस वाद पत्र की विषय वस्तु है तथा खडिया हलका में

प्रमाणित प्रतिलिपि 2

सहायक बांधकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना दर्ज हो रहा है जिसे भी पन्नालाल दर्ज करवाना वाद की विषय वस्तु है। उक्त आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान दर्ज करने की कृपा करें।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी के विरुद्ध निम्न आशय की घोषणा कर डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं. नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान व माल ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर पन्नालाल दर्ज करने की कृपा करें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। उक्त पत्रावली दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक



ब्रह्मणित प्रतिनिधि
इस वकालत का अधिकारी, माला

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

माल में मुख्यालय उपखण्ड न्यायालय सांगोद में रखी गई, प्रतिवादी ने उपस्थित कर वाद में राजहित प्रभावित नहीं होना स्वीकार किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जवाब प्रतिवादी से यह जाहिर होता है कि वादी ने उनके वाद पत्र में जो कथन किये हैं वे सत्य हैं। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से अंतिम रूप से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि -

माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं. नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 कित्ता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 कित्ता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 कित्ता की कुल 0.83 है. आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान व माल ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर पन्नालाल दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया जावे।



व्याजित प्रतिलिपि
उपखण्ड न्यायालय, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

(अंजना सहस्रवर्ते)
उपखण्ड अधिकारी (कोशी) सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(अंजना सहस्रवर्ते)
उपखण्ड अधिकारी (कोशी) सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इबादाई
आर.रूल्स 6-7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उषखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 26 / 2022

तारीख दायरा 12.03.2022

उनवान

छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम लसेडियाकलां
तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान। - वादी

बनाम

राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब सांगोद। - प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर. टी. एक्ट

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादी)

दिनांक :- 12.03.2022

श्री सरकार पैरोकार



आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व
हाजरी श्री मोहन लाल पोटर मिन जानिब मुदई रुबरु श्री मिन जानिब मुददायल पेश
होकर आदेश दिया जाता है कि -

माल ग्राम लसेडियाकलां पटवार हलका कमोलार तहसील सांगोद जिला
कोटा राजस्थान की खाता सं. नई 4 पुरानी 5 के ख.न. 388 की 0.06 है. एवं खाता सं.

बनागत प्रतिलिपि⁶

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

नई 27 पुरानी 25 के ख.न. 385 की 0.08 है., ख.न. 415 की 0.15 है. कुल 2 किता की कुल 0.43 है., खाता सं. नई 24 पुरानी 26 के ख.न. 412 की 0.08 है. आराजी स्थित है। साथ ही माल ग्राम नयापुरा पटवार हलका कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 55 पुरानी 57 के ख.न. 385, 386, 387, 388, 479 की क्रमशः 0.01 है., 1.26 है., 0.02 है., 1.25 है., 1.18 है. कुल 5 किता की कुल 3.72 है. आराजी स्थित है। इसके अतिरिक्त माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान में खाता सं. नई 76 पुरानी 75 के ख.न. 896 की 0.56 है., ख.न. 897 की 0.27 है. कुल 2 किता की कुल 0.83 है. आराजी में दर्ज वादी के गलत नाम छीतरलाल के स्थान पर छीतरलाल उर्फ ओंकारलाल पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी लसेडियाकलां तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान व माल ग्राम खडिया में वादी के पिता का नाम पन्ना के स्थान पर पन्नालाल दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।



(अंशुखा डायबिस्टेट)
 उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 12.03.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
 उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंशुखा डायबिस्टेट)
 उपखण्ड अधिकारी सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद, कोटा

क्रमांक-२०२२/३४४

दिनांक-१५/१


तहसीलदार,
तहसील सांगोद।

विषय:- इजराय संख्या ५५/२०२२ उनवान दीतरलाल बनाम
: राज्य सरकार मुताबिक निर्णय पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं० २६/२०२२ उनवान दीतरलाल
बनाम राज्य सरकार के न्यायालय में दिनांक १२.३.२२ को
निर्णय-डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति
भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से
स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक २५.६.२२ से पूर्व पालना करना
सुनिश्चित करें।

सलंगन-

निर्णय-डिक्री की छाया प्रति


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

44/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा

क्रमांक / LR / 2023 / 835

दिनांक- 20/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषय:- न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0..... 26/2022

उनवान..... ~~श्रीमान~~ [~~श.म. मरका~~]..... में जारी डिक्री दिनांक.

12/3/22 की पालना में ग्राम..... ~~जमाबंदी~~ में नामान्तरकरण सं..... 302

दिनांक..... 01/06/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी

है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)

तहसील सांगोद जिला कोटा

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(विधिये नियम 153 ए)

समूह का नाम :- लसाडियाकलाँ
खेत हल्का :- कमोलर
खेती, नि. :- बपाबरकलाँ
खेती :- माँगोद
खेती :- कोटा

सम्बत :- 2075 - 2078
भूमि धारक का नाम :- राज. मग्कार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 4
खाता संख्या पुराना :- 5

समूहकार का नाम:-

1. ओंकार पुत्र धूल्या हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
2. कन्हैयालाल पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
3. कस्तुरी पुत्री धूल्या हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
4. कान्तिबाई पुत्री कालूलाल हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
5. कालीबाई पत्नि स्व. गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
6. किशनलाल पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
7. गोपाललाल पुत्र कालूलाल हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
8. छीतरलाल उर्फ औरलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
9. धत्री पत्नि स्व. कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
10. धन्नीबाई पुत्री गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
11. नन्दकंठरी पुत्री कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
12. पार्वतीबाई पुत्री गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
13. पारा पुत्री पन्ना हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
14. बंशीलाल पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
15. बिरधीलाल पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
16. भूली पुत्री कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
17. मथुरालाल पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
18. मनफुल पुत्री कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
19. मोत्या पत्नि स्व. पन्ना हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
20. रामचरण पुत्र गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
21. रामनाथ पुत्र कजोड़ हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
22. रामनाथी पुत्री गणपत हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
23. रामलाल पुत्र कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार
24. हरिकिशन पुत्र कालू हिस्सा- 1/24 जाति- माली सा. देह खातेदार,

खमरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
388	0.0600	गै.मु. चाह	0.0600		स्वीकृत नामान्तरकरण : 242 09/12/2021 न्याया. आदेश	
					स्वीकृत नामान्तरकरण : 302 01/06/2022 न्याया. आदेश	
कुल खमरे - 1	0.0600		0.0600			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

NIC

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

खसरा का नाम :- नयापुरा
खसरा हल्का :- कमोलर
अभि.नि. :- वपावरकलॉ
हसील :- साँगोद
जिला :- कोटा

सम्बत :- 2076 - 2079
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 55
खाता संख्या पुराना :- 57

खसतकार का नाम:-

1. छीतरलाल उर्फ औरलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा- पूर्ण जाति- माली सा. लिसाडियाकलां खातेदार
राहिन (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
385	0.0100	गै.मु.ट्यूबवैल	0.0100		स्वीकृत नामान्तरकरण : 632 01/06/2022 न्याया. आदेश	
386	1.2600	चाही दोयम	1.2600	34.02		
387	0.0200	गै.मु.चाह व आवादी	0.0200			
388	1.2500	चाही दोयम	1.2500	33.75		
479	1.1800	चाही दोयम	1.1800	31.86		
कुल खसरे - 5	3.7200		3.7200	99.6300		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

NIC

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

खेती का नाम :- खड़िया
खेती का हल्का :- खड़िया
खेती का भूमि.नि. :- बपावरकलाँ
खेती का मालिक :- साँगोद
खेती का कोटा :- कोटा

सम्बत :- 2074 - 2077

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 76

खाता संख्या पुराना :- 75

खेतीकार का नाम:-

1. छीतरलाल उर्फ ओकरलाल पुत्र पन्नालाल हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. लिसाडियांकलां खातेदार अ.विव.- नामा.न.367
2. नाथूलाल पुत्र गणेशराम हिस्सा- 1/2 जाति- माली सा. लिसाडियांकलां खातेदार अ.विव.- नामा.न.367
3. रामनाथी पत्नि स्व. पन्ना हिस्सा- 1/4 जाति- माली सा. लिसाडियांकलां खातेदार अ.विव.- नामा.न.367,

खेतीकार का नाम	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
896	0.5600	चाही द्वितीय	0.5600	15.12	स्वीकृत नामान्तरकरण : 633 22/09/2022 न्याया. आदेश	
897	0.2700	चाही द्वितीय	0.2700	7.29		
कुल खसरे - 2	0.8300		0.8300	22.4100		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

